अध्याय VII

प्राप्यों का प्रबंधन

धन का संग्रहण जब देय हो, सुनिश्चित करने के लिए प्राप्यों का प्रबंधन और देनदार प्रबंधन आवश्यक है। एक ओर सुदृढ नकद प्रवाह बनाने के लिए और दूसरी ओर अशोध्य ऋणों से बचने के लिए अच्छा ऋणी प्रबंधन आवश्यक है।

7.1 बिल बनाना और नकदी संग्रहण प्रणाली

भेल द्वारा की गयी संविदाओ में सामान्यत: भुगतान की शर्तों का निम्नानुसार प्रावधान है:

- संविदा प्रदान करने पर प्रारंभिक अग्रिम के रूप में पूर्व-कार्य मूल्य घटक का 5 से 20 *प्रतिशत*;
- सामग्री के प्रेषण पर और ग्राहकों द्वारा जारी सामग्री प्रेषण निकासी प्रमाणपत्र (एमडीसीसी) और परीक्षण प्रमाणपत्र, प्रेषण दस्तावेजों को जमा करने पर पूर्व-कार्य मूल्य का 60 से 65 *प्रतिशत*;
- कार्य-स्थल पर सामग्री प्राप्त होने पर और ग्राहक द्वारा जारी की गई सामग्री प्राप्ति प्रमाणपत्र (एमआरसी) प्रस्तुत करने पर पूर्व-कार्य मूल्य का 15 से 20 *प्रतिशत*;
- सुविधा के सफल संस्थापन पर और ग्राहक द्वारा जारी परीक्षण प्रचालन प्रोटोकाल के प्रस्तुतीकरण पर पूर्व कार्य मूल्यों का 2.5 से 5 *प्रतिशत*, और
- निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षणों की सफल समाप्ति पर और ग्राहक द्वारा अनुमोदित अंतिम पीजी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर पूर्व कार्य मूल्य का 2.5 से 5 *प्रतिशत*।

कुछ संविदाओं में, प्रेषण और एमआरसी के संबंध में भुगतान के बजाय, गतिविधि-अनुसार माइलस्टोन भुगतानों को निर्दिष्ट किया गया था।

राजस्व का लेखांकन *प्रतिशत* पूर्णता पद्धति का प्रयोग करके किया गया था। इस पद्धति के तहत, राजस्व को पूरा हो चुके चरण पर आधारित संविदा गतिविधि की प्रगति के रूप में माना जाता है। पूर्ण होने के स्तर तक पहुंचने में होने वाली लागतें इस राजस्व के अनुरूप जाँची जाती हैं, परिणामस्वरूप सूचित किए गए कार्य जो पूर्ण कार्य के समानुपात के अनुसार हैं। तथापि, ग्राहकों को संविदा की शर्तों के अनुसार बिल भेजे जाते हैं जो कि लेखांकित राजस्व से भिन्न हो सकते हैं। असमानता को 'मूल्यांकन समायोजन[38]' के रूप में खातों में माना जाता है।

भेल की विनिर्माण इकाईयों ग्राहकों द्वारा अनुमोदित बिलिंग अनुसूची के अनुसार बीजक बनाती है। विनिर्माण इकाईयां भुगतान और बिक्री आय की वूसली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं। जबकि प्रगतिशील भुगतान के संबंध में बकाया बीजको पर इकाईयो द्वारा कार्रवाई की जाती है, स्थगित बिलो और निर्णीत हर्जाने से संबंधित विषयों पर व्यापारिक क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

---

[38] ***प्रेषणो का बिल मूल्य और आंतरिक मूल्य के बीच अंतर को मूल्यांकन समायोजन के रूप में बुक किया गया है।***

एक निर्दिष्ट तिथि पर, ग्राहको से प्राप्त प्राप्यो में निम्न सम्मिलित हैं

(i) संग्रहणीय प्राप्य,

(ii) आस्थगित प्राप्य[39],

(iii) अर्जित राजस्व[40]।

7.2 भेल में देनदारों की स्थिति

2011-16 की अवधि के लिए वर्ष के अंत में टर्नओवर और औसत संग्रहण अवधि (संग्रहणीय, आस्थागित तथा उपचित प्राप्यों के लिए) की प्रवृत्ति को साथ के चार्ट में दर्शाया गया है। औसत संग्रहण अवधि 2011-12 में 251 दिनों से 2015-16 में 588 दिनों के तेजी से वृद्धि थी। जिसके परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान (2011-16) टर्नओवर के 46.30 *प्रतिशत* नीचे गिरने के बावजूद बकाया राशि में ₹38586 करोड़ से ₹42886 करोड़ तक वृद्धि हो गयी थी।

चार्ट 7.1: देनदारों, टर्नओवर और औसत संग्रहण अवधि की प्रवृति

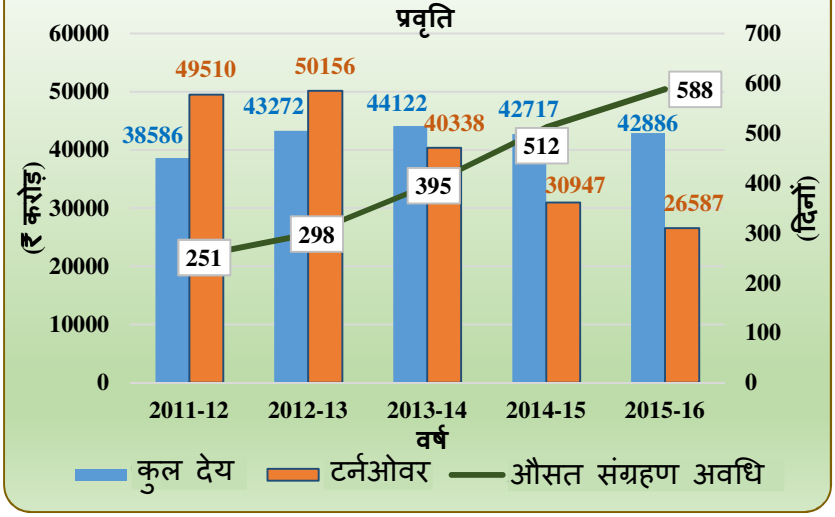

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2017) कि ग्राहकों से प्राप्य वसूलने के प्रयास किये जा रहे थे और कि विशिष्ट फोकस ग्रुप जैसे - प्रोजेक्ट क्लोजर सिनर्जी समूह, (पीसीएसजी) कानट्रेक्ट क्लोजिंग ग्रुप (सीसीजी) को बकाया की वसूली के लिए समग्र रूप से सभी मुद्दो पर ध्यान देने के लिए गठित किया गया है।

एग्जिट कॉन्फ्रेन्स के पश्चात, प्रबंधन ने आगे बताया (जून 2017) कि 31 मार्च 2016 की कुल देनदारों में आस्थगित ऋण और अन्यो से संबंधित तो ₹20750 करोड़ (लगभग 48 *प्रतिशत*) सम्मिलित थे, जो भुगतान के लिए शेष नहीं थे और इसलिये ग्राहको को बिल नहीं दिये गये थे। यह आश्वासन देते समय कि देनदारों से वसूली में सुधार लाने के लिए नियमित कार्रवाई की जा रही है, प्रबंधन ने बताया कि 2016-17 में औसत संग्रहण 57 दिनों से 531 दिन तक कम हो गया है।

7.3 संग्रहणीय प्राप्यों का कालवार विश्लेषण

31 मार्च 2016 को समाप्त पाँच वर्षों के दौरान भेल के संग्रहणीय प्राप्यों का कालवार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

---

[39] एमआरसी, माइलस्टोन और अंतिम भुगतान को समावेश करना

[40] प्रेषित सामान लम्बित बिल (जीडीपीबी), मूल्य अंतर दावा (पीवीसी) और मूल्यांकन समायोजन को सम्मिलित कर

तालिका 7.1: 2012-13 से 2015-16 की समाप्ति पर संग्रहणीय प्राप्यों का कालवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1 वर्ष से कम	14229	11385	10454	8348
1 वर्ष से अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम	3987	4359	2964	3176
2 वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम	1421	3445	2808	2273
3 वर्ष से अधिक	2659	3617	5920	8132
कुल	**22296**	**22806**	**22146**	**21929**
टर्नओवर	**50156**	**40338**	**30947**	**26587**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- उच्चतम आयु स्तर के तहत बकाया संग्रहण योग्य ऋण अर्थात तीन वर्षों से अधिक के लिए बकाया, निष्पादन लेखापरीक्षा के तहत कवर की गयी अवधि के दौरान लगातार बढ़ गए। ये ऋण, कुल संग्रहणीय ऋणों के *प्रतिशत* के रूप में 2012-13 में 11.93 *प्रतिशत* से 2015-16 में 37.08 *प्रतिशत* तक बढ़ गए।
- जबकि 2012-13 से 2015-16 के दौरान कंपनी का टर्नओवर 46.99 *प्रतिशत* तक घट गया था, वहीं संग्रहण ऋण लगभग समान स्तर पर बना हुआ था। यह इंगित करता है कि ऋण वसूली प्रभावी नहीं थी।
- 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान संग्रणीय प्राप्यों की औसत संग्रहण अवधि 2012-13 में 155 दिनों से 2015-16 में 303 दिनों तक दोगुनी हो गई।

मंत्रालय ने बताया (मई 2017) कि तीन वर्ष से अधिक के संबंध में ₹8132 करोड़ के प्राप्य एलडी और अन्य कारणों से ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि थी और ऑन होल्ड परियोजनाओं में राशि रोक कर रखी गयी थी। एलडी के संबंध में रोकी गई राशि का, देरी के कारणों के विस्तृत विश्लेषण पर परियोजना के पूरा होने पर समापन कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, तीन वर्षों से अधिक से बकाया राशि 31 मार्च 2017 को ₹7358 करोड़ तक घटा दी गयी। दो परियोजनाएं अर्थात एन्नोर और भद्राद्री, जहाँ अनुमानित ₹425 करोड़ की देय राशि के प्राप्य बकाया थे, भी प्रदर्शित किए गए हैं।

तथापि, 31 मार्च 2017 तक तीन से अधिक वर्षों के प्राप्य राशि, अभी भी 31 मार्च 2013 को समान श्रेणी में बकाया प्राप्यों के लगभग तीन गुना थे। साख-पत्र की स्थापना के बिना, निजी डेवलपर्स के लिए उपकरणों की आपूर्ति के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, अतत: भुगतान करने में उनकी बाद की विफलता, के कारण से इन परियोजनाओ को 'रोक कर' रखा गया और परियोजना के निष्पादन गारंटी परीक्षण के बाद भी लंबित पंच प्वांइट/शेष कार्यों का अननुपालन जो भेल के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था।

7.4 देनदार प्रबंधन का विश्लेषण

लेखापरीक्षा द्वारा भेल में देनदार प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण किया गया और इस संबंध में आपत्तियों अगामी पैराग्राफों में चर्चा की गयी हैं।

7.4.1 साख-पत्र की स्थापना बिना निजी पार्टीयों को सामग्री की आपूर्ति

2007-11 के दौरान, पीएस-मार्केटिंग ने निजी डेवलेवपर्स से आठ विद्युत परियोजनाओं[41] (सात थर्मल और एक हाइड्रो) के तहत 6850 मेगावॉट की क्षमता के स्थापित करने के आदेश प्राप्त किए। बाद में, भेल द्वारा परियोजनाएं को अप्रैल 2011 और जुलाई 2013 के बीच होल्ड पर रखी गयी थी। अभिलेखों की समीक्षा से लेखापरीक्षा ने पाया कि:

(i) निजी परियोजना डेवलपर्स के साथ भेल द्वारा की गई संविदाओ में यह प्रावधान किया गया कि साख-पत्र (एलसी) के माध्यम से को भेल को भुगतान जारी किया जाएगा। तथापि, यह देखा गया कि भेल द्वारा इस संविदा के प्रावधान अनुपालन सुनश्चित नहीं किया गया और एलसी की स्थापना के बिना न केवल आपूर्तियाँ प्रारंभ कर दी गई, बल्कि निजी डेवलपरो की बार-बार के आवर्ती विफलता के बाद भी सामग्री की आपूर्ति जारी रखी।

(ii) भेल ने ऐसे मामलों में भी सामग्री भेजी, जहाँ ग्राहकों ने एलसी नहीं खोला था। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये कुछ दृष्टान्त नीचे दिए गए हैं:

- मोनेट पावर कंपनी लिमिटेड (एमपीसीएल), ने दिनांक 02.09.2013 के अपने संदर्भ में कहा कि संविदा के उल्लंघन में, भेल ने मार्च 2013 में ₹133 करोड़ मूल्य की सामग्री की आवूर्ति की जो आगामी आदेश में नहीं था और अविकल्पी एलसी की स्थापना के बिना था, हालांकि ऋणदाता की स्वयं की संतुष्टि के लिए यह आवश्यक था कि ऐसी आपूर्तियां परियोजना की आवश्यकता के अनुसार और अनुक्रमिक तरीके से की गई थी।
- नासिक फेस-II और अमरावती फेस-II परियोजनाओं के मामले में, ग्राहक {(मैसर्स इंडियाबुल्स पावर लिमिटेड (आईपीएल)} ने भेल को सूचित किया (17.6.2011) कि यद्यपि परियोजना की वित्तीय समापन पूरा हो गया था, परन्तु कुछ और औपचारिकताओं को पूरा करने का आवश्यकता के कारण, सितम्बर 2011 के अंत तक एलसी की स्थापना करना व्यवहार्य नहीं होगा और, इस कारण, सितम्बर 2011 के अंत तक सामग्री की तैयारी पर प्रोफार्मा बीजकों के संबंध में चैक द्वारा भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया गया था। भेल ने मैसर्स आईपीएल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सितम्बर 2011 के बाद भी एलसी खोलने के लिए कहे बिना आपूर्तियाँ

[41] *(i) 2x525 भेल मालीब्राहमणी टीवीएस, (ii) 2x100 मेवा रायचूर टीपीएस/सुराना पावर लिमटेड (iii) 2x600 मेवा रायगढ़ परियोजना/वीसा पावर लिमिटेड, (iv) 5x270 मेवा नासिक चरण II/रतन इण्डिया पावर लिमिटेड, (v) 5x270 मेवा अमरावती चरण II/ रतन इण्डिया पावर लिमिटेड (vi) 2x270 मेवा चन्दवा चरण I/ अभिजीत इन्फ्रा प्राइवेट लिमि. (vii) 2x270 मेवा चन्दवा चरण II/ अभिजीत इन्फ्रा प्राइ. लिमि., (viii) 1040 मेवा एसएमएचपीसीएल महेश्वर एचईपी*

जारी रखी थी। तथापि, मैसर्स आइपीएल द्वारा प्रोफार्मा बीजको के संबंध में भुगतान जारी नहीं किया गया और 15.11.2011 तक बकाया राशि ₹90.3 करोड़ हो गयी थी। क्योंकि भेल ने भुगतानों को सुनिश्चित किये बिना आपूर्तियाँ जारी रखी थी, इसलिए बकाया प्राप्य 03.01.2012 तक ₹160 करोड़ बढ़ गये थे और 06.02.2012 तक और आगे ₹230 करोड़ तक बढ़ गए।

(iii) एलसी स्थापित किए बिना सामग्री की आपूर्ति और बाद में परियोजनाओं को 'होल्ड' पर रखने की घोषणा के कारण; भेल के बकाया प्राप्य ₹2660.77 करोड़ तक हो गये थे (31 मार्च 2016)। इसके अतिरिक्त, ₹458.51 करोड राशि की इन परियोजनाओ से संबंधित मालसूची विभिन्न भेल ईकाइयो पर पड़ी हुई है। बकाया प्राप्यों में निधियों को ब्लॉक किये जाने के कारण और अक्टूबर 2016 तक की माल सूची पर भेल को ब्याज हानि ₹1099.56 करोड़[42] बनती थी।

मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि क्योंकि ग्राहक द्वारा अग्रिम का भुगतान किया गया था और नियमित रूप से भुगतान निर्गत किये जा रहे थे इसलिए कुछ मामलो में एलसी के बिना आपूर्तियाँ की गई थी। इसके अतिरिक्त, एलसी प्रावधान जहाँ उपलब्ध थे, केवल प्रेषण भुगतान के लिये थे और माइलस्टोन, मूल्य अन्तर, करो और शुल्कों के प्रति भुगतान सामान्यत: प्रत्यक्ष भुगतान थे। परियोजनाओं को अप्रत्याशित घटनाओं के कारण रोक कर रखा गया था। इस प्रकार की संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा था और इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त ₹2661 करोड़ के बकाया में से ₹1339 करोड़ के असमायोजित अग्रिम और मूल्यांकन समायोजन (क्रेडिट) किया गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी की बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ (2008 की सीएजी के प्रतिवेदन सं. 11 के पैराग्राफ 11.1.1) पर विचार करते समय, अनुशंसा की गयी (जुलाई 2008) कि, सामान्य अभ्यास के रूप में, निजी ग्राहकों के लिए प्रेषणो के संबंध में भुगतान एलसी के प्रति अथवा अग्रिम भुगतान, प्रेषण से पूर्व किया जाना चाहिए, संविदाओं/कार्य आदेशो में यथा निर्दिष्ट भेल द्वारा एलसी खोले बिना सामग्री की आपूर्ति की गयी। कुछ परियोजनाओं में, लगभग पूरी राशि एलसी के साथ जुड़ी थी, उदाहरण-चांदवा परियोजना (फेस I और II), जहां प्रारंभिक अग्रिम को छोड़कर सभी भुगतान एलसी के द्वारा किये जाने थे अथवा महेश्वर और मोनेट पावर प्रोजेक्ट्स में, जहाँ प्रत्यक्ष भुगतान विकल्प 5 से 10 प्रतिशत की सीमा तक केवल कमीशन स्तर तक उपलब्ध था।

7.4.2 प्रारंभिक अग्रिम की प्राप्ति से पहले शून्य तिथि की स्वीकार्यता

मैसर्स डीबी (पावर) एमपी लिमिटेड (डीबीएमपीएल) ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 2X660 मेगावॉट के पावर प्रोजेक्ट के कार्य को ₹3631.50 करोड़ की लागत पर भेल (27.06.2011) को

---

[42] ***परियोजना को 'ऑन होल्ड पर' रखने की तिथि से निम्नतम एसबीआई आधार रेट, अर्थात 8.50 प्रतिशत पर संगणित किया गया था।***

दिया था। कार्य सौंपने के पत्र (एलओए) की शर्तों के अनुसार, भेल ₹50 करोड़ के प्रारंभिक अग्रिम की प्रथम किस्त की प्राप्ति की तिथि को शून्य तिथि मानने के लिए सहमत हुआ था। भेल ने 29.9.2011 को अग्रिम प्राप्त किया जिसे शून्य तिथि के रूप में माना गया था। लेखापरीक्षा में देखा कि कार्पोरेट वित्त द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार (20.10.2008), कम से कम 10 *प्रतिशत* अग्रिम शून्य तिथि के लिए सहमत होने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए था। मौजूदा संविदा में, भेल ₹50 करोड़ की प्राप्ति पर शून्य तिथि के लिए सहमत हो गया था, जो कि आदेश मूल्य का 1.38 *प्रतिशत* बनता था। भेल द्वारा शेष 10 *प्रतिशत* अग्रिम क्रमश: 28.03.2012 तक प्राप्त किया जाना था जो कि प्राप्त नहीं हुआ था। वित्तीय बाधाओं के अलावा कोयला लिंकेज और पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त न होने के कारण परियोजना को नवम्बर 2012 में रोक दिया गया था। उस समय तक, उस परियोजना के प्रति में ₹66.82 करोड़ मूल्य की एक मालसूची बनायी गयी थी, जिसका प्रेषण नहीं किया जा सका था। इस प्रकार, आन्तरिक दिशा-निर्देशो के उल्लंघन में शून्य तिथि की गणना के परिणामस्वरूप मालसूची का परिहार्य निर्माण हुआ जिसके संबंध में भेल को पर्याप्त अग्रिम प्राप्त नहीं हुआ।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (फरवरी/मई 2017) कि ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) और पर्यावरण अनापत्ति की उपलब्धता भेल द्वारा परियोजना गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं नहीं थी और परियोजना के निष्पादन के दौरान डिवेलपर द्वारा सामान्यत: प्राप्त किये गये/जोड़े गये थे। इसके अतिरिक्त, ये समझौते/अनापत्ति अनुमोदन के बहुत से मध्यवर्ती स्तरो के तहत थे और इसलिये ऑर्डर बुकिंग के लिए पूर्व-शर्त नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान मामलें में, शून्य तिथि की 10 प्रतिशत प्रारंभिक अग्रिम के प्राप्त होने से पहले गणना की गयी थी जो कि भेल के स्वयं के हितों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ।

7.4.3 सामग्री का प्रेषण करते समय एमडीसीसी के प्रावधानों के संबंध में संविदा प्रावधानो का अननुपालन

भेल द्वारा किए गए करारों में बीजको को प्रस्तुत करने और नियोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा जारी सामग्री प्रेषण निकासी प्रमाणपत्र (एसडीसीसी) सहित बीजको के प्रस्तुतीकरण और लदान के संतोषजनक साक्ष्य के आधार पर यथानुपात विनिर्माता के कार्यो से उपकरणों के प्रेषण पर प्रत्येक पहचान किये गये उपकरणों के लिए संविदा मूल्य के 60 *प्रतिशत* पूर्व-कार्य घटक के भुगतान का प्रावधान प्रदान किया गया। तथापि त्रिची इकाई ने सामग्री के प्रेषण के समय पर उपर्युक्त का पालन नहीं किया जिसने परिणामत: निम्नलिखित मामलों में बिलों की वसूली को प्रभावित किया।

तालिका 7.2: मामलें जहाँ एमडीसीसी प्राप्त नही की गयी थी (त्रिची इकाई)

परियोजना का नाम	लेखापरीक्षा अभ्यूक्तियाँ
बोंगाईगांव 1-3 (एसजी)	त्रिची इकाई द्वारा मार्च 2009 से दिसम्बर 2010 के दौरान सामग्री का प्रेषण किया गया और ₹1.11 करोड़ का बिल बनाया गया, परन्तु एमडीससी की प्राप्ति तक भुगतान लम्बित था।
2x800 मेगावॉट दरलीपली	अक्टूबर 2015 और मार्च 2016 के बीच, त्रिची इकाई द्वारा ₹127.96 करोड़ के माल का प्रेषण किया गया, जो परन्तु ग्राहकों से एमडीसीसी प्राप्त न होने के कारण बिल नहीं बनाया जा सकता है।
1x800 मेगावॉट ऊंचाहार टीपीपी स्तर-IV	
2x800 मेगावॉट गदरवारा एसटीपीपी	
1x800 मेगावॉट कोठागुडम टीपीएस	
3x660 मेगावॉट उत्तरी करनपुरा एसटीपीपी	
3x660 मेगावॉट नबीनगर एसटीपीपी	
एनबीपीपीएल	
3x660 मेगावॉट बाढ-I	
1x500 मेगावॉट ऊंचाहार टीपीपी स्तर-IV	त्रिची इकाई द्वारा ₹3.32 करोड़ मूल्य के माल का प्रेषण किया गया परन्तु ग्राहको से एमडीसीसी न प्राप्त होने के कारण 180 दिनों के बाद भी बिल नहीं बनाया जा सका; और टर्नओवर को बहीखातों में विपरीत कर दिया था।
3x660 मेगावॉट नबीनगर एसजी पैकेज	
2x800 मेगावाट दरलीपली एसजी पैकेज	
2x800 मेगावॉट गदरवारा एसजी पैकेज	

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि बिल भेजने में होने वाली किसी कठिनाई से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि एमडीसीसी के बिना किसी भी समग्री का प्रेषण नहीं किया जाय, जब कभी करार के अनुसार एमडीसीसी अपेक्षित था। मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी।

7.4.4 परियोजना रोकने के बाद सामग्री का प्रेषण/अधिप्राप्ति

जब कभी भी किसी परियोजना को रोक कर रखा गया था, संबंधित व्यापार क्षेत्र ने इकाईयाँ को रोक की तिथि के बाद ऐसी परियोजनाओं से संबंधित किसी भी कार्य का दायित्व नहीं लेने और व्यवसाय क्षेत्र से सूचना के बाद ही कार्यकलाप करने का निर्देश दिया। तथापि, यह देखा गया कि भेल की इकाईयो ने उपरोक्त निर्देशो के उल्लंघन में सामग्री की खरीद प्राप्ति और/ अथवा प्रेषण, आदेश दिये थे।

7.4.4.1 परियोजनाओं को प्रेषित सामग्री

भेल ने ₹5054 करोड़ की लागत पर 21.03.2015 को तेलंगाना राज्य उत्पादन निगम (टीएसजीईएनसीओ) के लिए भद्रादी टीपीएस के 4x270 मेगावाट के निर्माण के लिए एक आदेश प्राप्त किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) के परियोजना के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तक परियोजना के सभी कार्यों को रोकने के आदेश (12.12.2015) के बाद टीएसजीईएनसीओ ने अगले निर्देशो तक सभी कार्यो को तत्काल रोकने के लिए भेल को (14.12.2015) सूचित किया। तदनुसार, विद्युत मार्केटिंग ने सभी संबंधित इकाईयो की परियोजना को 'रोक कर रखने' का विनिर्देश दिया था (14.01.2016)। तथापि भेल

इकाईयों ने विनिर्माण गतिविधियो को जारी रखा और जनवरी 2016 और मार्च 2017 के बीच इस परियोजना के प्रति ₹209 करोड़ का व्यय किया।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि एनजीटी द्वारा परियोजना को रोककर रखने का आदेश दिनांक 12.12.2015 का था और यह 11.01.2016 को ग्राहक द्वारा भेल को दिया गया था। ग्राहक पत्र प्राप्त करने पर तुरंत भेल ने इस परियोजना पर रोक लगा दी थी। जैसे ही व्यापार क्षेत्र द्वारा रोक लगायी गयी थी, प्रेषणों को रोकने के लिए सभी कदम उठाए गए और प्रणाली सुधारों के माध्यम से संचार समय को कम से कम किया जा रहा था। मंत्रालय ने आगे बताया (मई 2017) कि पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गयी थी और टीएसजीईएनसीओ ने कार्य को दोबारा प्रारंभ करने की मंजूरी (मार्च 2017) दे दी थी।

यह मानते हुए भी कि भेल को आदेश केवल जनवरी 2016 में दिये गये थे, उत्तर मार्च 2017 तक परियोजना के प्रति विनिर्माण और प्रेषण की निरंतरता रखने को स्पष्ट नहीं करता है।

7.4.4.2 ऑन होल्ड परियोजनाओं के प्रति खरीद आदेश का दिया जाना

भोपाल इकाई ने इन परियोजनाओं को रोक कर रखने के बाद ₹8.81 करोड़ मूल्य की 'ऑन होल्ड' पाँच परियोजनाओं के संबंध आठ खरीद के आदेश दिये। इसी प्रकार, 12 परियोजनाओं के संबंध में, जो कि 'ऑन होल्ड' थी हैदराबाद इकाई ने ₹10.87 करोड़ मूल्य के 203 पीओज जारी किए थे। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि रोक कर रखी गयी परियोजनाओं के प्रति मांगपत्र देने और पीओज देने की प्रणाली में एक 'लॉक' बनाने के लिए प्रबंधन समिति के निर्णय को कार्यान्वित (21.1.2013) कराने में इकाई प्रबंधन असफल हो गया क्योंकि भेल इकाईयों ने जनवरी 2013 के बाद भी कार्य जारी रखा था।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया (फरवरी 2017) कि कारोबार क्षेत्र की सलाह के बाद आदेशो को जारी किया गया क्योंकि बहु परियोजनाओं के लिए दिये गये आदेश समान थे अथवा संबंधित खरीद अधिकारी तक सूचना पहुँचने में कारोबार क्षेत्र के संचार में अन्तराल था। तथापि, भविष्य में इस प्रकार की संभावना से बचने के उद्देश्य से, 'ऑन होल्ड' सलाह का प्रणाली आधारित कार्यान्वयन किया जा रहा था। मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी थी।

7.4.5 निष्पादन गारंटी जाँचो को पूरा करने में विलम्ब और लंबित पंच प्वाइंट

भेल द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्राप्त आदेश निष्पादन गारंटी (पीजी) जांच के सफलतापूर्वक पूरे होने पर ठेका राशि के अन्तिम 5 से 10 *प्रतिशत* की जारी करने का प्रावधान करते हैं इसलिये यह महत्वपूर्ण था कि भेल संस्थापन के तुरंत बाद पीजी जाँचों को करे। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि:

(i) निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान तक संस्थापित 29 थर्मल पावर परियोजनाओं की 52[43] इकाईयों में से, केवल 18 इकाईयों की पीजी जांच जुलाई 2016 तक की गयी थी। इन 18 इकाईयों की पीजी जांच चालू होने के बाद 7 से 50 महीनों में पूरी की गयी थी।

(ii) 34 इकाईयों के संबंध में पीजी जांच अभी भी की जानी थी यद्यपि उनको चालू हुए 2 से 70 महीने बीत चुके थे।

(iii) जुलाई 2016 के अंत तक पांच परियोजनाओं की सात युनिटों के संबंध में पीजी नमूना जांच रिपोर्ट अभी भी ग्राहकों के पास अनुमोदन के लिए लंबित है, यद्यपि ये नमूना जांच किए हुए छः महीनों से अधिक समय बीत चुका है। अक्तूबर 2012 से लकवा परियोजना की पीजी नमूना जांच रिपोर्ट बॉयलर और टर्बाइन जेनरेटर की कार्यमात्रा में कमी के कारण ग्राहक के अनुमोदन हेतु लंबित है। परीछा परियोजना की पीजी नमूना जांच का ग्राहक अनुमोदन तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

(iv) विवेक के सिद्धान्तानुसार सभी लागू पीजी नमूना जांच {अर्थात बॉयलर की पीजी नमूना जांच, टर्बाइन जनरेटर (टीजी), इलेक्ट्रोस्टेटिक पार्सिपिटेटर (ईएसपी) तथा मिल्स} एक साथ ही की जानी चाहिए। तथापि सभी सात युनिटों के मामले में, सभी पीजी नमूना जांच एक माह के समय में की गई। ग्यारह यूनिटो के मामले में, पहले तथा अंतिम पीजी नमूना जांच में 2 से 25 महिने का समय लगा। इन ग्यारह में से आठ मामलों में ई एस पी की नमूना जांच करने में हुए विलंब के कारण पहले तथा अंतिम पीजी नमूना जांच करने में अधिक समयावधि लगी।

(v) 19 नवम्बर 2012, को आयोजित 301 वीं एमसी बैठक में विद्युत क्षेत्र-तकनीकी सेवाएं (पीएसटीएस) ने प्रबंधन को सूचित किया कि पंच पॉइंट के समाधान न हो पाने के कारण ग्राहक पीजी नमूना जांच कराने की अनुमति नहीं दे रहे थे। एम सी ने निदेश दिए कि चालू करने से पूर्व पीजी नमूना जांच पूर्ण करने के समाधान करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। तथापि यह देखा गया कि पंच पॉईंट अनुमति देने में भेल का रिकार्ड बहुत खराब था। अंतिम यूनिट के संस्थापन होने के तीन महिने के अंदर सुविधाओं को पूरा करने हेतु विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ठेके में प्रावधान उपलब्ध कराए गए थे और किसी भी मामले में पंच पॉइंट/लंबित कार्य पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय समुचित था। तथापि 2006-07 में प्रारंभ हुई परियोजनाओं के पंच पॉईट/लंबित कार्य भी 31 मार्च 2016 तक भेल द्वारा पूर्ण नहीं किए गए। इससे यह पता चलता है कि भेल द्वारा परियोजना पूर्ण करने की अपेक्षा उत्पादन इकाईयों के प्रवर्तन (एक वित्तीय वर्ष के दौरान उच्चतम क्षमता संर्वधन को प्राप्त करने हेतु) पर अत्यधिक बल दिया गया।

इसके परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं में धनराशि अवरूध होने के कारण भेल को ब्याज की अनवरत हानि हुई। 31 मार्च 2016 को बकाया देयताओं पर हुई ब्याज की हानि[44] जिसे पीजी

---

[43] हरदुआगंज इकाई #8 एवं 9 के अतिरक्त जिसके पीजी जांच किये जाने के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे, यद्यपि प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया था (फरवरी 2017) कि इकाई #8 की पीजी जांच की गयी थी।

[44] 8.50 प्रतिशत (2011-16 के दौरान एसबीआई की न्यूनतम प्रचालित आधार ब्याज दर) पर संगणित। बकाया मामलों के निपटान के लिए परियोजना संस्थापन के एक वर्ष अनुमत करने के बाद ब्याज संगणना की अवधि की गणना की गई है।

नमूना जांच के पूर्ण होने में विलंब के कारण वसूली नहीं की जा सकी और निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित संस्थापित परियोजनाओं से संबंधित लंबित कार्य/पंच पॉइंट के निष्पादन में बिलंब के साथ-साथ 31 मार्च 2016 के समापन होने वाली लंबित परियोजनाओं के लिए, ₹ 1457.11 करोड़ संगणित की गई।

प्रबंधन ने कहा (फरवरी 2017) कि सभी क्षेत्रों तथा इकाईयों, परियोजना प्रबंधन समूह, पीएस मार्केटिंग के प्रतिनिधित्व के साथ पीएसटीएस[45] संचालित समूह के निर्माण द्वारा प्रयासों में तेजी लाई गई थी। साथ ही यह भी बताया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा संगणित की गई ब्याज की हानि केवल अनुमानित है क्योंकि पीजी नमूना जांच के पश्चात भुगतान देय हो गए थे। प्रबंधन ने यह भी बताया कि पीजी नमूना जांच भेल के साथ-साथ ग्राहक के नियंत्रण से बाहर है, क्योंकि पीजी नमूना जांच के लिए इकाई को मशीन की निर्धारित क्षमता पर चलाने की आवश्यकता होती है किन्तु इकाई की प्रचालन क्षमता ग्रिड मांग द्वारा निर्देशित थी। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि पंच पॉईंट्स और ग्रिड मांग की अनुपलब्धता के बावजूद भी, पीजी नमूना जांच संचालन ग्राहको पर आरोप्य कारण जैसे संयंत्र का बंद होना, डिजाइन कोयला /कोयले की कमी, बिजली चली जाना आदि भी विलंब करवाते है।

तथापि, 34 थर्मल यूनिटो में चालू होने के दो से 70 महिनों के बावजूद भी पीजी नमूना जांच पूरी करनी बाकी थी (जुलाई 2016)। यदि पीजी नमूना जांच और पंच पॉइंट निर्धारित समय में पूर्ण हो जाते तो बकाया राशि वसूल की जा सकती थी। लेखापरीक्षा द्वारा यह नोट किया गया कि बकाया राशि की वसूली के लिए एक विशेष दस्ता बनाया गया। पीजी नमूना जांच करने में हुए 50 महिने का विलंब केवल ग्रिड मांग की अनुपलब्धता और अन्य कारणों से नहीं हो सकता।

7.4.6 देनदार मॉनीटरिंग तंत्र का अप्रभावशाली कार्यान्वयन

ऋण वसूली में लगने वाले समय घटाने के लिए भेल की बोर्ड स्तर की लेखापरीक्षा समिति (बीएलएसी) ने सुझाव दिया (जनवरी 2012) कि निदेशक (वित्त) की अध्यक्षता में तथा व्यापार क्षेत्र के कार्यकारी निदेशकों को अन्य सदस्यों के रूप में मिलाकर देनदारों की मॉनीटरिंग तंत्र के रूप में शिखर समिति गठित की जाए जो कठिनाईयों की पहचान करने के लिए स्पष्ट समयबद्ध कार्ययोजना निरूपित करे और मासिक आधार पर मॉनीटर करे। यह समिति बीएलएसी के प्रत्येक तिमाही में वर्तमान स्थिति की जानकारी देगी। बीएलएसी ने एक विस्तृत कार्ययोजना (10 सर्वाधिक देनदारों के ऋणशोधन तथा प्रत्येक इकाई के अचल ऋणों पर ध्यान केन्द्रित करने) बनाने का सुझाव दिया जिसमें प्रत्येक परियोजना से संबंधित निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी को ऋण की वूसली करने की स्पष्ट जिम्मेदारी प्रदान की जाएगी। ऋण वसूलने की इकाईवार जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया गया। शिखर समिति का गठन मार्च 2012 (अगस्त 2013 से इस समिति का नाम परिवर्तित करके 'नकद एकत्रिकरण समीक्षा बैठक' कर दिया गया) में किया गया। देनदार निगरानी मॉनीटरिंग कार्यान्वन में निम्नलिखित कमियां पाई गई:

[45] *विद्युत क्षेत्र तकनीकी सेवा*

(i) ***तिमाही आधार पर*** बीएलएसी को विविध देनदारों की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के प्रति, अप्रैल 2012 (जब शिखर समिति की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी) से मार्च 2016 तक, 16 तिमाहियों के दौरान विविध देनदारों की वर्तमान स्थिति बीएलएसी को केवल पांच[46] बार ही प्रस्तुत की गई।

(ii) सितम्बर 2012 से जुलाई 2013 तक लेखापरीक्षा के समक्ष देनदारों की समीक्षा टिप्पणियों के रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए। अगस्त 2013 में नकद एकत्रिकरण समीक्षा बैठक के आयोजन के पश्चात, सितम्बर 2013 तथा जनवरी 2016[47] के मध्य 17 महिनों में कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

(iii) उपलब्ध जानकारी के आधार पर, 2013-14 में सात महिनों तथा 2014-15 और 2015-16 प्रत्येक में ग्यारह महिनों के नकद एकत्रिकरण लक्ष्य और उपलब्धियों में तुलना की गई थी। इसमें यह देखा गया कि इन 29 महिनों में विद्युत क्षेत्र द्वारा नकद एकत्रिकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके और 27 से 75 प्रतिशत की मासिक गिरावट दर्ज की गई। 2013-14 में एक माह को छोड़कर उद्योग क्षेत्र द्वारा भी मासिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके, जबकि अन्य क्षेत्रों (विद्युत और उद्योग क्षेत्र के अतिरिक्त) ने 29 माह में से पांच माह में अपने लक्ष्य प्राप्त किए। इस प्रकार किसी भी महिने में सम्पूर्ण नकद एकत्रिकरण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके और वास्तविक समग्र एकत्रिकरण लक्ष्य से 30 से 64 प्रतिशत तक कमी हुई।

(iv) 04.08.2012 को आयोजित तीसरी शिखर समिति बैठक में, 22 पुरानी परियोजनाओं के प्रति देयताओं को परिशोधन के लिए वर्ष के दौरान एक केन्द्रीत योजना पर कार्य करने हेतु व्यवसाय क्षेत्र सहमत हो गए। व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा यह बताया गया कि वे एक माह के भीतर परिशोधन हेतु अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर देंगे। तथापि कोई कार्य योजना बनाई/कार्यान्वित नहीं की गई। 22 पुरानी परियोजनाओं में से 17 से संबंधित ₹ 1227 करोड़ में से ₹ 515 करोड़ की राशि (एक परियोजना में से एलडी के प्रति ₹ 248 करोड़ समायोजित कर बट्टे खाते में डालने के पश्चात) अभी भी वसूल की जानी शेष है (31 मार्च 2016)।

मंत्रालय ने कहा कि (मई 2017) देनदारों पर बीएलएसी को आवधिक रूप से प्रस्तुतिकरण दी गई थी। नकद एकत्रिकरण पर व्यवसाय क्षेत्र के साथ हर माह बैठक आयोजित की गई, बैठक का औपचारिक कार्यवृत बनाना अभी प्रचलन में था। नकद एकत्रिकरण को चरम सीमा तक बढ़ाने हेतु व्यवसाय क्षेत्र को बढ़े हुए लक्ष्य प्रदान किए गए तथा 22 परियोजनाओं के पुराने बकाया ऋण जो कि 31.03.12 को ₹ 1404 करोड़ थे से घट कर 28.02.2017 को ₹ 481 करोड़ तक आ गया। इन राशियों के महत्वपूर्ण भाग एलडी सहित विभिन्न कारणों से ग्राहको द्वारा रोके गए थे। पुरानी देयताओं के मामले में परिशोधन धीमा था।

यह उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि बकाया ऋणों के ₹ 481 करोड़ तक कमी मात्र ग्राहकों से ऋणों की वसूली के कारण नहीं हुई है, वरन ₹ 378 करोड़ के बट्टे खाते में डालने के

---

[46] 2012-13, 2014-15 तथा 2015-16 में एक बार तथा 2013-14 में दो बार।

[47] सितम्बर 2013,दिसम्बर 2013 से मई 2014, जुलाई 2014, फरवरी 2015, अप्रैल 2015 से जून 2015, अगस्त 2015 तथा अक्तूबर 2015 से जनवरी 2016।

कारण आई है। वस्तुत: पिछले पांच वर्षों में ₹ 1404 करोड़ में से केवल ₹ 545 करोड़ (38.82 प्रतिशत) की ही वसूली हो पाई है।

7.4.7 'रोकी गई बकाया राशि में वसूली योग्य बकाया राशि का परिवर्तन' पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन:

व्यापार क्षेत्रों तथा इकाईयों के निर्देशन हेतु देनदारों पर शिखर समिति द्वारा (अगस्त 2012) रोकी गई बकाया राशियों[48] से वसूली योग्य बकाया राशियों के परिवर्तन पर दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य निम्नानुसार थे:

- रोकी गई बकाया राशियों में वसूली योग्य बकाया राशियों के परिवर्तन के कारण;
- रोकी गई बकाया राशियों में वसूली योग्य बकाया राशियों के परिवर्तन का अनुमोदन;
- रोकी गई राशियों की नियमित समीक्षा; और
- परिशोधनपर सामयिक कार्यवाई।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, दिशानिर्देशों के अनुसार वसूलीयोग्य बकाया राशि को व्यवसाय क्षेत्र के अनुमोदन के पश्चात ही रोकी गई राशियों में परिवर्तन किया जा सकता है, ताकि व्यवसाय क्षेत्र रोकी गई बकाया राशियों के परिशोधन के लिए ग्राहकों के साथ समन्वय और समय पर कार्यवाही की मॉनीटर कर सके।

निम्नलिखित तालिका में 2012-13 से 2015-16 के दौरान वसूली योग्य बकाया राशियों और रोकी गई बकाया राशियों टर्नओवर दर्शाया गया है:

तालिका 7.3: वसूलीयोग्य बकाया राशियों तथा रोकी गई बकाया राशियों व टर्नओवर का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	टर्नओवर	वर्ष के अंत में वूसली योग्य बकाया राशि	वर्ष के अंत में रोकी गई राशि	*वसूलीयोग्य बकाया राशियों से रोकी गई राशियों का प्रतिशत*
	(₹ करोड़)			
2012-13	50156	22296	4960	22.25
2013-14	40338	22806	5637	24.72
2014-15	30947	22146	6031	27.23
2015-16	26587	21929	7170	32.70

[48] *प्रदर्शन हेतु एलडी, विलंब के लिए एलडी, ईडी/सेवाकर/सीएसएटी/वैट/सीडी के अस्वीकरण, पीवीसी/ईआरसी दावा, बकाया पंच पॉईंट/ठेका मिलान के लिए रोका गया भुगतान, कमी/नुकसान/अस्वीकरण के लिए रोका गया भुगतान, अतिरिक्त दावे अस्वीकरण आदि के कारण ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि।*

उपरोक्त से यह देखा गया कि:

(i) 2012-13 से 2015-16 के दौरान वसूलीयोग्य बकाया राशि समान स्तर पर शेष रहा, जबकि रोकी गई बकाया राशि 2012-13 में ₹ 4960 करोड़ से 2015-16 में ₹ 7170 करोड़ तक बढ़ गई और इसमें 44.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ii) पीएस-मार्केटिंग, जिसने 2011-12 से 2015-16 के दौरान वार्षिक टर्नओवर में 76.46 प्रतिशत से 80.53 प्रतिशत का योगदान दिया था, के द्वारा मार्च 2016 तक वसूलीयोग्य बकाया राशियों से रोकी गई राशियों में परिवर्तन के किसी भी मामले को स्वीकृत नहीं किया। यह सूचित किया गया (सितम्बर 2016) कि संबंधित इकाईयों की ओर से वसूली योग्य बकाया राशियों के रोकी गई राशियों में परिवर्तन के लिए कोई नियमित अनुरोध प्राप्त नहीं हुएं।

(iii) दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई शीर्ष अधिकारियों से रोके गए देय को को कम करने हेतु की गई कार्रवाई और शिखर समिति की समीक्षा और प्रस्तुतिकरण हेतु निगम ऋणी समूह को भविष्य के लिए कार्ययोजना दर्शाते हुए रोके गए देयों पर तिमाही समीक्षा रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि केवल 11.11.2013, 04.06.2014, 04.08.2014 तथा 03.12.2014 को आयोजित नकद एकत्रिकरण समीक्षा बैठक में रोके गए देयों के परियोजना वार ब्यौरे देय के परिशोधन हेतु की गई कार्यवाही और भविष्य के लिए कार्ययोजना की सूचना दिए बिना प्रस्तुत किए गए।

(iv) 04.08.2014 को हुई बैठक में इस संबंध में विशेष निदेश देने के बावजूद भी नकद एकत्रिकरण समीक्षा बैठक में रोके गए देयों के परिशोधन के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत नही की गई।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियां नोट की और कहा कि (फरवरी 2017) 'एलडी' की ओर रोके गए मामलों की तरह संयुक्त परियोजनाओं के मामले में व्यवसाय क्षेत्र की सलाह पर अन्य बकाया भुगतानों को भी 'रोके गए देय' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। परियोजना स्तर पर रोके गए देय रोके जाने के महत्वपूर्ण कारणों के साथ इकाईयों द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्ट में भेजी गई थी। बहुत अधिक परियोजनाओं होने तथा कई इकाईयों के शामिल होने के कारण, उक्त रिपोर्ट इकाईयों द्वारा सिस्टम में अपलोड की गई। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि सभी इकाईयों और व्यवसाय क्षेत्रों को रोके गए देयको के वर्गीकरण तथा समीक्षा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिखर समिति द्वारा विवेचित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए दोबारा सूचित कर दिया गया था।

7.4.8 देयको की वसूली के लिए कार्य दल का अप्रभावी क्रियान्वयन

ठेका समापन समूह (सीसीजी), परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी), निगम देयक समूह तथा विद्युत क्षेत्र-मार्केटिंग के प्रतिनिधियों को साथ लेकर राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीज़) से बकाया देयको की त्वरित वसूली हेतु राज्य वार जीएम स्तर के कार्यदल गठित (17.08.2013) किये गये। कार्यदल द्वारा 45 परियोजनाओं की पहचान की गई जिनमें 16 चालू परियोजनाएं तथा 29 वे परियोजनाए, जिनमें परीक्षण प्रचालन पूर्ण हो चुका था, शामिल थी। कार्य दल द्वारा उन परियोजनाओं जिनमें परीक्षण प्रचालन मार्च 2014 और दिसम्बर 2014 के बीच पूरा हो चुका था, के लिए बकाया काम

पूरा करने (फरवरी 2014) तथा दिसम्बर 2014 तक इन सभी 29 परियोजनाओं के प्रति लंबित ₹ 2604.45 करोड़ की बकाया देयताओं की वसूली करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया।

तथापि लेखापरीक्षा द्वारा यह देखा गया कि कार्यदल द्वारा लक्ष्य तारीख तक देयताओं का ऋणशोधन नहीं किया गया और ₹ 2388.10 करोड़ *(01 फरवरी 2014 तक बकाया देयताओं का 91.69 प्रतिशत)* बकाया (31 मार्च 2016) था यह भी देखा गया कि यद्यपि कार्यदल द्वारा संबंधित इकाईयों को परियोजनाओं में बकाया कार्यों के संबंध में सूचित किया गया था, और इन बकाया कार्यो को लक्ष्य तारीख तक पूरा करने के आश्वासन भी प्राप्त किए थे, लेकिन इकाईयों के द्वारा लंबित कार्यों के पूरा किए जानी की निगरानी नहीं की गई। इसके अतिरिक्त कार्यदल द्वारा इकाईयो द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति न किए जाने के कारणों के साथ इन चूको के लिए जवाबदेही तय किए जाने को एमसी के पास मामला उठाया नहीं गया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2017) कि एमसी के साथ चर्चा में बकाया देयको के आशोधन के लिए पीएस मार्केटिंग, पीएमजी, तथा सीसीजी समुहो द्वारा समन्वयात्मक प्रयास किए गए। ठेका समापन गतिविधियों और बकाया देयकों के ऋणशोधन पर जोर देने के लिए प्रोजेक्ट क्लोजर सीनर्जी ग्रुप (पीसीएसजी) का गठन किया गया है। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि लक्ष्यों की प्राप्ति में असफलता के जिम्मेवार एजेंसीयों व मुद्दों की पहचान की गई और इन पर एमसी बैठकों में चर्चा की गई। संविदात्मक एलडी में छूट देने और विलंब विश्लेषण का पूर्ण होना लंबित होने के कारण बकाया देयकों की महत्वपूर्ण राशि रोके जाने के कारण वसूली में समय लगता है। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, वर्तमान वर्ष के दौरान एसईबी़ज़ से लगभग ₹ 500 करोड़ की वसूली की गई है।

7.4.9 बिल प्रस्तुत करने में विलंब

शमिल वित्तीय विवक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठेको के अनुसार देय होते ही बिल शीघ्रता से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बिलिंग में विलंब से वसूली में भी देरी होगी। अधिकांशत:, बिलिंग (बीजक) प्रेषण वाले माह में ही कर ली गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि ग्राहकों को बिल प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब किया गया, जैसाकि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.4.9.1 लेखापरीक्षा, नमूना जांच में समीक्षित दस परियोजनाओं में, रानीपेट इकाई द्वारा ₹ 1882 करोड़ के बिल प्रस्तुत किए गए। इसमें से ₹ 540.10 करोड़ (28.70 प्रतिशत) के बिल माल भेजने के 30 दिनों के बाद प्रस्तुत किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि लॉरी रसीद प्रति, माल प्रेषित अनापत्ति प्रमाणपत्र (एमडीसीसी) आदि दस्तावेज प्राप्त न होना बिलंबित बिलिंग के मुख्य कारण थे।

प्रबंधन ने बताया कि (दिसम्बर 2016/फरवरी 2017) कि पहले बिल प्रस्तुत करने में काफी विलंब होता था, लेकिन वर्तमान परियोजनाओं में प्रत्येक सप्ताह जीडीपीबी (बिलिंग विलंबित रहते भेजा गया माल) की समीक्षा होने के कारण बिल साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत किए जाने, केंद्रीकृत दस्तावेज प्राप्ति और निगरानी तथा प्रेषण पर एमडीसीसी प्राप्त करने के कारण, बिल प्रस्तुत करने में लगने वाले समय में कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि (मई 2017) सामान्यत: प्रेषण के एक माह के

भीतर बिल प्रस्तुत कर दिए जाते थे और दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण कुछेक मामलों में बिलिंग में विलंब देखा गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उपचारात्मक कार्यवाई/प्रस्तावित कार्यवाही नोट की गई। 10 में से 7 परियोजनाओं में बिल प्रस्तुत करने में विलंब हुआ देखा गया, कुल प्रस्तुत बिलों में विलंबित बिलों की प्रमात्रा 12.39 प्रतिशत से 78.08 प्रतिशत के बीच है और इन्हें छिट-पुट मामले नहीं माना जा सकता।

7.4.9.2 त्रिची इकाई द्वारा 30 दिनों से अधिक विलंब के साथ ₹ 2617.78 करोड़ की कीमत की 48921 डिलीवरी के संबंध में बिल प्रस्तुत किए गए। अधिकतम विलंब 1774 दिनों का देखा गया।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2017) कि 85 प्रतिशत बिलिंग प्रेषण के पहले माह के भीतर ही कर दी गई थी, इसके बावजूद कुछ स्थायी मुद्दों जैसे एमडीसीसी प्राप्त करना, बिलिंग ब्रेक अप अनुमोदन आदि के कारण अन्य मामलों में विलंब हुआ। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि अलग-अलग परियोजना में विभिन्न मुद्दों के प्रति ऐसे मामले कुल बिलिंग का मात्र एक प्रतिशत ही है। तथापि इन विलंबों को घटाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है तथा सुधार हेतु लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तुत विचारों को नोट कर लिया गया है।

7.4.10 दावा नहीं की गई ठेका शर्तो के अनुसार कीमत परिवर्तन

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) द्वारा (अप्रैल 2008) में भेल को 2**x**500 मेगावाट अनपारा-डी परियोजना का कार्य सौंपा। ठेके के अनुसार यदि विनिमय दर परिवर्तन (ईआरबी) के कारण आयात संघटको में हुए किसी प्रकार के परिवर्तन पर 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी और 10 प्रतिशत की कमी होने के लिए यूपीआरवीयूएनएल जिम्मेदार होगा। विदेशी मुद्रा और तदनुसार सीमा शुल्क (सीडी) में परिवर्तन की गणना निर्धारित फार्मूला के अनुसार की जाएगी तथा बिलिंग लक्ष्य तिथि (12.01.2008) के 18 महिनों पश्चात एक ही लॉट में की जाएगी। तथापि**,** सात वर्ष बीत जाने के बाद भी त्रिची इकाई द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि (फरवरी 2017) ईआरवी और सीडी दावे कुछ पेचीदा थे और ग्राहक इन दावों को तत्परता से स्वीकार नहीं करते। दस्तावेजों की आवश्यकता ग्राहकों के अनुसार भिन्न रहती है। अत: अस्थायी दावा प्रस्तुत किया गया। इस मामले में, प्रस्तुत किया गया अस्थायी दावा ग्राहक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। पीएस-मार्केटिंग की सलाह के अनुसार, इस मामले को अंतिम मिलान के समय उठाया जाएगा और एक वाणिज्यिक समझौते पर पहुंचा जाएगा। मंत्रालय ने कहा (मई 2017) कि जैसे भी और जब भी, कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो भेल द्वारा उस दावे का भुगतान करने के प्रयास सदैव किए जाते है। तथापि, ग्राहक कुछ मामले समेकित कर लेते है और ठेका समाप्ति पर उठाते है।

तथापि, कीमत परिवर्तन बिलिंग संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई। संविदात्मक प्रावधानों और/या विशिष्ट दस्तावेजों की आवश्यकता की विवेचना, यदि कोई हो, का निपटान संविदा

को अंतिम रूप देते समय ही हो जाना चाहिए। संविदा के समापन तक कीमत परिवर्तन बिल का निपटान बकाया रखने से उनकी वसूली की संभावना क्षीण हो सकती है।

7.4.11 संविदात्मक गुंजाईश के अतिरिक्त आपूर्ति

रानीपेट इकाई द्वारा 11 परियोजनाओं[49] को ₹ 22.65 करोड़ की कीमत का माल संविदात्मक गुंजाईश के अतिरिक्त आपूर्ति के रूप में भेजा गया। त्रिची इकाई में भी ₹ 23.44 करोड़ की कीमत के 22 बॉयलरों में 1184 मदें भेजी, लेकिन उनके लिए ग्राहक को बिल प्रस्तुत नहीं किए।

प्रबंधन ने बताया कि (फरवरी 2017) रानीपेट इकाई द्वारा भेजे गए माल के संबंध में ग्राहक से बकाया देयको की वसूली के प्रति प्रयास किए जा रहे है। त्रिची इकाई के मामले में, प्रबंधन ने बताया कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुरूप इस प्रकार की मदों को अब नियमित वस्तु वार बिलिंग अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई।

[49] ***बेल्लारी 3 (₹ 2.54 करोड़), एनटीपीसी सोलापुर ईएसपी पैकेज (₹ 0.30 करोड़), श्री सिंगाजी (₹ 4.64 करोड़), एचएनपीसीएल-विजाग (₹ 4.29 करोड़), बल्लूर (₹ 0.24 करोड़), अनपारा-डी (₹ 6.28 करोड़), कोडरमा (₹ 1.65 करोड़), जीजीएसआर- भटिंडा (₹ 0.08 करोड़), एमपीपीजीसीएल सतपुरा-10 (₹ 0.60 करोड़), संतालडिह-6 (₹ 0.58 करोड़) तथा हिंडाल्को (₹ 1.45 करोड़)***